327

संख्या /XVIII(II)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2013

विषयः–नीति माणा घाटी कल्याण समिति, देहरादून को शासनादेश दिनांक–31.05.2006 द्वारा जनजाति कल्याण भवन के निर्माण हेतु तहसील देहरादून के ग्राम आमवाला तरला में निःशुल्क आवंटित 0.3540 है0 भूमि का पट्टा निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा आवंटित भूमि को मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–233/2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में चुनौती दी गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र दिनांक–04.07.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीति माणा घाटी कल्याण जनजाति समिति, देहरादून को शासनादेश संख्या–87/सी0एम0/18(1)/2006 दिनांक–31.05.2006 द्वारा ग्राम आमवाला तरला के खसरा संख्या–914 के अन्तर्गत निःशुल्क आवंटित 0.3540 है0 भूमि तथा तद्क्रम में कोई अनुसांगिक पट्टा भी यदि अग्रेत्तर रूप से निर्गत किया गया हो तो ऐसे पट्टे को भी एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अतः इस सम्बन्ध में समयबद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या–2267/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4– श्री बी0पी0एस0 बम्पाल, अध्यक्ष, नीति माणा घाटी कल्याण समिति, 12 कोर्ट रोड़, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनसचिव।